



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219495
CG-DL-E-21052020-219495

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1400]
No. 1400]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ. 1561(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐश सामग्री (ऐश कंटेंट) को 34% तक की सीमा सहित कोयले का उपयोग करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की कतिपय श्रेणियों को अधिदेशित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 3 के उपनियम 8 का संशोधन प्रकाशित किया।

और जबकि सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित समय-सीमा तक कच्चे अथवा मिश्रित अथवा लाभकारी कोयले (बेनिफिसिएटिड कोल), जिसमें ऐश सामग्री चौंतीस प्रतिशत (34%) से अधिक ना हो, का उपयोग करने के लिए त्रैमासिक आधार पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को अधिदेशित किया गया है :

क्रम सं.	विद्युत संयंत्र की श्रेणी	गर्तमुख(पिट-हैड)/कोयला खान से ताप विद्युत संयंत्र के अवस्थान की दूरी	समय-सीमा
(क)	एकल ताप विद्युत संयंत्र (किसी भी क्षमता के) और कैपिटिव ताप विद्युत संयंत्र (100 मेगावाट और अधिक क्षमता सहित)	गर्तमुख विद्युत संयंत्रों को छोड़कर गर्तमुख से दूरी पर ध्यान दिए बिना शहरी क्षेत्रों, या परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अवस्थित	2 जून, 2014 से प्रभावी।
(ख)		1000 किमी से अधिक दूर	2 जून, 2014 से प्रभावी।
(ग)		750-1000 किमी के बीच	1 जनवरी, 2015 से प्रभावी।
(घ)		500-749 किमी के बीच	5 जून, 2016 से प्रभावी।

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में स.का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 और सा.का.नि.593 (अ), तारीख 28 जून, 2018 द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता और विद्युत संयंत्र की संस्थापना की तारीख और समय-बद्ध रीति से प्राप्त किए जाने के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानकों और विनिर्दिष्ट जल उपभोग को प्रकाशित किया था।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को प्रस्तुत की गई यथा संशोधित योजना के अनुसार विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022 तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 7 दिसंबर, 2017 के फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू द्वारा निदेश दिए।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभ्यावेदन किया है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उन्नत होने के साथ ही ताप विद्युत संयंत्र दहन प्रक्रिया से उत्पन्न फ्लाई-ऐश का पता लगाने में बेहतर उपकरणों से सुसज्जित हुए हैं और बिना धुला कोयला अधिक कुशलता और मितव्ययता से प्रयोग किया जा सकता है; ताप विद्युत संयंत्रों को राख अवयवों की विभिन्न किस्मों के साथ कोयले के लिए डिजाइन किया गया है और इनमें सूखी राख (ड्राई ऐश) निकालने, उसका रखरखाव करने और राख के उपयोग के लिए आपूर्ति प्रणालियों को उपलब्ध कराया गया है; धुले कोयले के उपयोग से बिजली उत्पादन महंगा हो जाता है; ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई-ऐश सीमेंट निर्माण, ईंटें बनाने, सड़क बिछाने, खनन के उपरांत रिक्त हुए स्थलों और निचले क्षेत्रों को भरने के लिए बैक-फिल सामग्री जैसे कई लाभकारी उपयोगों के लिए प्रयोग की जा रही है; औसतन ऐश की मात्रा 34% तक बनाए रखने की आवश्यकता उद्योगों को कोयले का आयात करने के लिए प्रेरित करती है जिससे विदेशी मुद्रा इत्यादि का बहिर्वाह (आऊटफ्लो) होता है।

और जबकि, कोयला मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यावेदन किया है कि कोयला खानें वर्षों से कच्चे कोयले की गुणवत्ता, आकार और बाहरी सामग्री में सुधार के लिए निरंतर कड़े प्रयास कर रही हैं जिससे सभी संबंधित उपकरणों की टूट-फूट में उल्लेखनीय कमी आई है, कोयला धुलाई प्रक्रिया में कई प्रकार का रखरखाव होता है और कोयला खानों से धुलाई-स्थलों (वाशरीज़) तक कोयले की बड़ी मात्रा को सड़क द्वारा ले जाने और फिर आगे

विद्युत संयंत्रों तक ले जाने के लिए रेल साइडिंग तक ले जाने से बचना; धुलाई की प्रक्रिया केवल कोयले को धुले हुए कोयले और वाशरी अवशिष्ट में बाँटती है जबकि खनित कोयले की राख की मात्रा वही रहती है; निम्न श्रेणी कोयला वाशरी अवशिष्ट कई छोटे उपयोगकर्ता उद्योगों में, अधिक प्रदूषण आदि सृजित करते हैं।

और जबकि, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने इसलिए अनुरोध किया है कि दिनांक 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना पर पुनः विचार द्वारा, विद्युत संयंत्रों को धुले हुए कोयले के प्रयोग के लिए अधिदेशित करने पर गौर किया जाना अपेक्षित है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोयले की लंबी दूरी की धुलाई के लिए बिजली के उत्पादन में आसानी होगी।

और जबकि, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वाशरीज़, कोयला खनन, परिवहन और विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत की दृष्टि से इस विषय का विश्लेषण करने के बाद अन्य बातों के साथ-साथ संक्षिप्त में यह अभ्यावेदन किया है कि समीपवर्ती उद्योगों में वाशरी अवशिष्ट का इस्तेमाल अधिक प्रदूषण पैदा करता है; चूंकि वाशरी अवशिष्ट अनेक छोटे उद्योगों में वितरित होते हैं, इसलिए विद्युत संयंत्र पर उत्पन्न प्रदूषण की तुलना में अनेक स्थलों पर उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है; धुलाई प्रक्रिया में उत्पन्न राख (ऐश) कोयला कणों के साथ-साथ पानी को भी प्रदूषित करती है और इसका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता, कोयला धुलाई प्रक्रिया में पानी का अधिक प्रयोग होता है, अपशिष्ट सृजन होता है; वाशरी अवशिष्ट के निपटान का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी कोयला अवशिष्ट, तरल अपशिष्ट प्रवाह, कोयला भण्डारण, कोयला मिट्टी का रखरखाव, अपवाह और उड़ने वाली धूल का रखरखाव और निपटान करना होता है, कोयला धुलाई का स्थलाकृति, जल निकास स्वरूप और गुणवत्ता, जल निकायों, बड़े पैमाने पर प्रतिवेशी वायु गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; धुलाई प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन की लागत में भी वृद्धि होती है जिसका कोई पर्यावरणीय लाभ इत्यादि भी नहीं होता।

और जबकि, नीति आयोग ने इसलिए सिफारिश की है कि पर्यावरणीय और प्रदूषण मानकों का निर्धारण करना और उन्हें लागू करना विवेकपूर्ण होगा, जिन्हें कोयले में ऐश की मात्रा प्रतिबंधित किए जाने के बजाए, परिवहन दूरी के आधार पर विद्युत उत्पादकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के अभ्यावेदनों, नीति आयोग और कई हितधारकों की रिपोर्ट पर विवेचन करने तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एवं जनहित में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है—

- i) खनित कोयले में ऐश सामग्री की मात्रा समान रहती है। वाशरी से ऐश सामग्री दो स्थानों (वाशरी और विद्युत संयंत्र) में विभाजित हो जाती है जबकि बिना धुला कोयला विद्युत संयंत्र में प्रयोग किया जाता है, ऐश सामग्री का निपटान केवल एक स्थान अर्थात् विद्युत संयंत्र में किया जाता है;
- ii) ताप विद्युत संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण, ऐश प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित होते हैं क्योंकि उनमें फ्लाई-ऐश का निराकरण करने के लिए उच्च क्षमता वाले उपकरण होते हैं, ड्राई ऐश निष्क्रमण और हैंडलिंग सिस्टम, ऐश उपयोग के लिए सप्लाई सिस्टम और फ्लू गैसों को तितर-बितर करने के लिए बड़े टाल (स्टैक) होते हैं;
- iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं जिनमें क्रमशः ताप विद्युत संयंत्रों को समयबद्ध रीति से इन मानकों का पालन करने के लिए अधिदेशित किया गया है;

और जबकि, फ्लाई ऐश प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर बिना धुले कोयले के संसाधन के दौरान उत्पन्न अन्य संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं सहित बिना धुले कोयले की हैंडलिंग के लिए यथासंभव उत्कृष्ट कार्यवाही को अपनाना समयोचित है।

और जबकि, कोयला मंत्रालय ने अभ्यावेदन किया है कि मौजूदा अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी और इसके फलस्वरूप देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला क्षेत्र की मांग को प्रोत्साहित कर घरेलू कोयले के उपयोग की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए यह वांछनीय है कि तत्काल अधिसूचना जारी की जाए।

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के भाग (अ) के तहत सूचना देने की अनिवार्यता को हटा देने के उपरांत जनहित में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 को आगे संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी गज़ट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 में, नियम 3 में, उपनियम (8) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

“(8) ताप विद्युत संयंत्रों को, ऐश सामग्री अथवा दूरी संबंधी अनुबंधों के बिना, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन कोयले के प्रयोग की अनुमति होगी:

(1) उत्सर्जन मानदण्डों के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान निर्धारित करना:

- i. वर्तमान अधिसूचनाओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विविक्त सामग्री के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करना।
- ii. वाशरी के मामले में मिडलिंग और अवशिष्टों का एफबीसी(तरलीकृत तल दहन) प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाए। एफबीसी संयंत्रों में मिडलिंग और अवशिष्टों के लिए वाशरी में संयोजन (लिकेज) होना चाहिए।

2. ऐश पॉन्ड का प्रबंधन:

- i. ताप विद्युत संयंत्र धुले हुए कोयले से बिना धुले हुए कोयले पर स्विच करने के कारण फ्लाई-ऐश पॉन्ड(मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता) की अतिरिक्त क्षमता की पात्रता प्राप्त किए बिना, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में यथा-अधिसूचित शर्तों का पालन करें।
- ii. ऐश प्रबंधन के लिए जल की खपत को अनुकूल करने हेतु समुचित प्रौद्योगिकी समाधान लागू हों;
- iii. यदि आवश्यक हो तो फ्लाई-ऐश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थल विशिष्ट स्थितियों के आधार पर ऐश का पृथक्करण इलैक्ट्रो-स्टैटिक अवक्षेपक (प्रेसीपिटेटर) स्तर पर किया जाए।
- iv. ताप विद्युत संयंत्र उपर्युक्त 2(i) के अध्याधीन, छोड़ी हुई अथवा चालू खानों (वर्किंग माइन्स) में (खान मालिकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाए) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ फ्लाई-ऐश का निपटान करें।

3. परिवहन:

- i. ढके हुए रेलवे वैगन (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए रेलवे वैगन) और/अथवा खान-क्षेत्र से परे ढके हुए वाहक (कन्वेयर) द्वारा ही कोयले का परिवहन किया जाए। तथापि, जब तक रेल परिवहन/वाहक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हो जाता, सड़क परिवहन ट्रकों द्वारा किया जाए जो तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए हों।
- ii. ताप विद्युत संयंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि
 - (क) रेल अथवा कन्वेयर द्वारा परिवहन के लिए विद्युत संयंत्र में अथवा इसके समीप रेल साइडिंग सुविधा अथवा कन्वेयर सुविधा स्थापित हो; और
 - (ख) यदि रेल अथवा कन्वेयर सुविधा की अनुपलब्धता के कारण परिवहन न हो पाए, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित खान के डिलीवरी स्थान से कोयले का परिवहन ढके हुए ट्रकों (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा), अथवा किसी अन्य यंत्रीकृत बंद ट्रक से सड़क द्वारा हो।
- (4) इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए संबंधित परियोजनाओं हेतु संगत पर्यावरणीय स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तें भी समझा जाएगा। मौजूदा पर्यावरणीय स्वीकृतियों को संशोधित किया जाएगा ताकि संगत क्षेत्रों के लिए उपरोक्त शर्तों को प्रवर्तनशील बनाया जा सके। तदनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रचालन की अनुमति जारी की जाएगी।

[फा.सं. 13014/01/2020-आईए-1(टी)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं.का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ. 82(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987; का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि. 931(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 1989; का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992; सा.का.नि. 562(अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का.नि. 884(अ), तारीख 20 नवंबर, 1992; सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 1993; सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560 (अ), तारीख 19 सितंबर, 1997; सा.का.नि. 378 (अ), तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि. 07 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 1998; सा.का.नि. 407 (अ), तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवंबर, 2009; सा.का.नि. 513 (अ), तारीख 28 जून, 2012; सा.का.नि. 02 (अ), तारीख 02 जनवरी, 2014; का.आ. 3305 (अ), तारीख 07 दिसंबर, 2015; सा.का.नि. 593 (अ), तारीख 28 जून, 2018; और का.आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O. 1561(E).—Whereas the Central Government had, in exercise of its powers under Section 3, Section 6 and Section 25 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, published draft rules further to amend sub-rule (8) of rule 3 of Environment (Protection) Rules, 1986, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 02(E), dated the

2nd January, 2014 mandating certain categories of thermal power plants to use coal with ash content restricted to 34%.

And whereas, the said Notification *vide* number G.S.R. 02(E) dated the 2nd January, 2014, mandated coal based thermal power plants to use raw or blended or beneficiated coal with ash content not exceeding thirty-four percent (34%), on quarterly basis, by the time lines given below:

Sl. No.	Category of Power Plant	Distance of location of Thermal Power Plant from pit-head/coal mine	Time lines
(a)	Stand-alone Thermal Power Plants (any capacity), and Captive Thermal Power Plants (with capacity of 100 MW and above)	Located in urban areas, or ecologically sensitive areas or critically polluted areas, irrespective of distance from pit-head, except pit-head power plants.	With effect from 2 nd June, 2014.
(b)		beyond 1000 km	With effect from 2 nd June, 2014.
(c)		between 750-1000 km	With effect from 1 st January, 2015.
(d)		between 500-749 km	With effect from 5 th June, 2016.

And whereas, the Central Government had, in exercise of its powers under sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3305 (E), dated the 7th December, 2015 and G.S.R. 593 (E), dated the 28th June, 2018 published the emission standards and specific water consumption for various category of thermal power plants, based on capacity of power generation and date of installation of power plant and to be achieved in time bound manner.

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change directed the Central Pollution Control Board *vide* F.No.Q-15017/40/2007-CPW dated the 7th December, 2017 to issue Directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, to various Thermal Power Plants to install pollution control equipment as per the revised plan submitted by the Ministry of Power dated the 13th October, 2017 by 2022.

And whereas, the Ministry of Power has, *inter alia*, represented that with advancement in pollution control technologies, thermal power plants are better equipped to capture fly-ash generated in combustion process and unwashed coal can be used more efficiently and economically; thermal power plants are designed for coal with wide variety of ash content and are equipped with dry ash evacuation, handling and supply systems for ash utilisation; using washed coal makes power generation costlier; fly ash generated in thermal power plants is being used in several beneficial uses like cement manufacturing, brick making, road laying, back-fill material for reclamation of mine voids and low lying areas; requirement of maintaining average ash content to 34% prompts industries to undertake import of coal, resulting in outflow of foreign exchange etc.

And Whereas, the Ministry of Coal has, *inter alia*, represented that the coal mines are constantly striving to improve raw coal in terms of quality, size and extraneous material over the years which has considerably reduced wear and tear of all related equipment, coal washing process involves multiple handling and avoidable road transportation of huge quantities of coal from coal mines to washeries and then to rail sidings for onward transport to power plants; the washing process only divides the coal into washed coal and washery rejects while the ash content of mined coal remains the same; use of low grade coal washery rejects, in the multiple small user industries, generates more pollution etc.

And Whereas, the Ministry of Coal and Ministry of Power have, therefore, represented that the mandating power plants to use washed coal requires to be revisited by reconsidering the notification dated the 2nd January, 2014 which will help ease power generation for long distance haulage of coal without adverse impact on the environment.

And Whereas, the NITI Aayog, in its report after analysing the issue from the perspective of washeries, Coal mining, transportation and consumption of coal at power plants has, *inter alia*, summed up that use of washery rejects in nearby industries generates more pollution; since washery rejects are distributed in number of smaller industries, the pollution control at numerous points is more difficult than controlling the

pollution at power plant end; Ash generated in the washing process pollutes water along with coal particles and cannot be gainfully utilised; Coal washing process involves increased water use, effluent generation; Disposal of washery rejects has negative environmental impact as it has to handle and dispose huge quantity of low grade coal washery rejects, liquid effluent streams, coal storage, handling coal dust, runoff and fugitive dust; Coal washing also adversely impacts topography, water drainage pattern and quality, water bodies, surrounding air quality at large scale; Washing process increases the cost of power generation with no commensurate environmental advantages etc.

And Whereas, NITI Aayog has, therefore, recommended that it may be prudent to determine and enforce the environmental and pollution norms, to be complied with by the power generators, rather than restricting the ash content in coal, based on distance of transportation.

And Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, after deliberating the representations from Ministry of Power, Ministry of Coal, report of NITI Aayog and various stakeholders and after careful considerations & in larger public interest, arrived at the following:

- (i) The extent of ash content in mined coal remains the same. With washeries, the ash content gets divided at two places (washeries and the power plant), whereas if unwashed coal is used in power plant, the ash content is handled at only one place viz. the power plant;
- (ii) Thermal power plants are technologically equipped to address pollution control, ash management as they have high efficiency equipment to capture fly ash, dry ash evacuation and handling systems, ash supply systems for ash utilisation and tall stacks for wider dispersal of flue gases;
- (iii) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified emission norms, mandating respective thermal power plants to adhere to such norms in a time bound manner;

And Whereas, it is expedient to adopt best possible framework towards handling of unwashed coal including management of fly ash and other associated environmental aspects arising out of processing of unwashed coal at different stages.

And Whereas, the Ministry of Coal has represented that in view of the existing unprecedented COVID-19 pandemic and the resultant immediate requirement of utilization of domestic coal by stimulating coal sector demand for power generation in the country, it is desirable to issue the notification at the earliest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3, Section 6 and Section 25 of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following rules to further amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
- “(8) Use of coal by Thermal Power Plants, without stipulations as regards ash content or distance, shall be permitted subject to following conditions:

(1) **Setting Up Technology Solution for emission norms:**

- (i) Compliance of specified emission norms for Particulate Matter, as per extant notifications and instructions of Central Pollution Control Board, issued from time to time.
- (ii) In case of washeries, Middling and rejects to be utilized in FBC (Fluidised Bed Combustion) technology based thermal power plants. Washery to have linkage for middling and rejects in Fluidised Bed Combustion plants.

(2) **Management of Ash Ponds:**

- (i) The thermal powers plants shall comply with conditions, as notified in the Fly Ash notification issued from time to time, without being entitled to additional capacity of fly ash pond (for existing power generation capacity) on ground of switching from washed coal to unwashed coal.
- (ii) Appropriate Technology solutions shall be applied to optimise water consumption for Ash management;

- (iii) The segregation of ash may be done at the Electro-Static Precipitator stage, if required, based on site specific conditions, to ensure maximum utilization of fly ash;
- (iv) Subject to 2(i) above, the thermal power plants to dispose flyash in abandoned or working mines (to be facilitated by mine owner) with environmental safeguards.

(3) **Transportation:**

- (i) Coal transportation may be undertaken by covered Railway wagon (railway wagons covered by tarpaulin or other means) and/or covered conveyer beyond the mine area. However, till such time enabling Rail transport/conveyer infrastructure is not available, road transportation may be undertaken in trucks, covered by tarpaulin or other means.
- (ii) It shall be ensured by the thermal power plant that
 - a. Rail siding facility or conveyor facility is set up at or near the power plant, for transportation by rail or conveyor; and
 - b. If transportation by rail or conveyor facility is not available, ensure that the coal is transported out from the Delivery Point of the respective mine in covered trucks (by tarpaulin or other means), or any mechanized closed trucks by road.
- (4) This shall also be deemed to be additional conditions of the relevant Environmental Clearances for respective projects for financial year 2020-21 and onwards. The existing Environmental Clearances shall stand modified so as to make the above conditions operative for relevant sectors. The Consent to Operate shall be issued by respective State Pollution Control Boards accordingly.”

[F.No.13014/01/2020-IA.I(T)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 82(E), dated 16th February, 1987; S.O. 64(E), dated 18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated 27th October, 1989; S.O. 23(E), dated 16th January, 1991; G.S.R. 95(E), dated 12th February, 1992; G.S.R. 329(E), dated 13th March, 1992; G.S.R. 562(E), dated 27th May, 1992; G.S.R. 884(E), dated 20th November, 1992; G.S.R. 386(E), dated 22nd April, 1993; G.S.R. 422(E), dated 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated 31st December, 1993; G.S.R. 320(E), dated 16th March, 1994; G.S.R. 560(E), dated 19th September, 1997; G.S.R. 378(E), dated 30th June, 1998; G.S.R. 7(E), dated 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated 31st May, 2001; G.S.R. 826(E), dated 16th November, 2009; G.S.R. 513(E), dated 28th June, 2012; G.S.R. 02(E) dated 2nd January, 2014; S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015; G.S.R. 593(E), dated 28th June, 2018 and S.O. 236 (E), dated 16th January, 2020.